


113

म०प्र०
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



छीवलाल तिवारी तनय श्री रामप्रताप तिवारी निवासी ग्राम
अमरघाटन जिला सतना म०प्र०
बनाम

--- आवेदक

--- अनावेदक

110-2/R/85/134

म०प्र० फासन

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त
रीवा, सम्भाग रीवा म०प्र० बाक 90
क्र० 656/90-91 आदेश दिनांक
16.6.94

उमाकान्त शुक्ला अफ. रीवा,
आज सक्रिट कोर्ट रीवा
प्रस्तुत किया गया

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०-राजस्व
संहिता सन् 1959 ई०

18-8-94

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञा विधि एवं
प्रौथ्या के विपरीत है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में विद्यमान
तथ्य व विधि के विपरीत निरुत्कर्ष निकाला है कि धारा 239 के
अन्तर्गत अपील का प्रावधान नहीं है जबकि अपील योग्य आदेश था
व है। यदि किसी कारण वश अपील न भी मानी जाती तो अपीलार्थी
की यह मौखिक निवेदन भी था कि निगरानी में परिवर्तित कर
सुनवाई किया जाना आवश्यक जरूरी है जिस पर अपर आयुक्त
रीवा ने कोई विचार नहीं किया। अतः कानून का
अर्थ है कि कोई भी निवेदन

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	---

23/8/16

आवेदन क्रमांक 101 - को को रिवीज डायरी
 आवेदन क्रमांक 101 - एम 30 वाणेश्वर/34।
 सना. शासन की ओर - से पूर्व आवेदन क्रमांक 98-
 500/140 23 अला 34।

आवेदन क्रमांक का तर्क है कि नतीजा
 का 1 वा 1 239 में परत दिया गया। लेकिन
 वह परत 1431-259 अक्षरों पर है।
 तथा, लेकिन 34 के अलावा अक्षरों पर
 करत हुए अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर
 अक्षरों के अलावा परत अक्षरों पर अक्षरों पर।
 1431-259 के अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर
 नहीं है। अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर
 अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर
 अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर अक्षरों पर

(Signature)

(Signature)
 D.K. Sharma
 23-8-16

(Signature)